JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 07/परीक्षा/EP-I/व.अ. (विशेष शिक्षा–टीएसपी)/माध्यमिक शिक्षा/2017–18 **दिनांक : 29.03.2018**

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में **वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)**के पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाईहै तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों (पदों में कमी/वृद्धि की जा सकती है)की संख्या निम्नानुसार हैः–

विशेष नोट :– इस विज्ञापन के तहत् केवल राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी ही आवेदन करें। अन्य क्षेत्र के अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो वे अपात्र होंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में निवासित होने का प्रमाण यथासमय आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अपात्र होंगे।

Sr. No.	No. of Posts	No. of Post(s)	Gen.				S.C.				S.T.				OBC				MBC				P.H.		
			Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	B/LV	HI	LD/CP
1	गणित	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अंग्रेजी	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	विज्ञान	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	हिन्दी	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	सामाजिक विज्ञान	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
6	संस्कृत	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	योग	17	12	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

नवीनतम् जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेब–साईट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in**का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (गणित, अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत विषय के लिये) :–

(1)Graduate or equivalent examination with concerned subject as Optional Subject, **and** Degree in Education (Special Education) **OR** Degree in Education (General) with 2 years Diploma in Special Education recognised by the Rehabilitation Council of India.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (विज्ञान विषय के लिये) :–

Graduate or equivalent examination with at least two subjects as Optional Subjects out of the following subjects : Physics, Chemistry, Zoology, Botany, Micro Biology, Bio Technology and Bio Chemistry **and** Degree in Education (Special Education) **OR** Degree in Education (General) with 2 years Diploma in Special Education recognised by the Rehabilitation Council of India.

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (सामाजिक विज्ञान विषय के लिये) :–

Graduate or equivalent examination with at least two subjects as Optional Subjects out of the following subjects :History, Geography, Economics, Political Science, Sociology, Public Administration and Philosophy **and** Degree in Education (Special Education) **OR** Degree in Education (General) with 2 years Diploma in Special Education recognised by the Rehabilitation Council of India.

(2)(सभी विषय पदों हेतु): –Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and knowledge of Rajasthani Culture.

आयु सीमा	दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम।	**वेतनमान : Pay Matrix Level (L-11)**

आयु सीमा में छूट के प्रावधान

क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष एंव सामान्य वर्ग की महिला		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
4.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ावर्ग/अति पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		

अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान

1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर**Substantive** रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में **Substantive** रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शॉर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में **Substantive** रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	सन् 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान् पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।
9	कीनिया, तंजानिया, उगाण्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
10	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 में निहित प्रावधान के तहत् भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के विरूद्ध उनकी ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष पूर्ण नहीं होनी चाहिए, परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट–

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative)हैं, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.092017 के अनुसार यदि किसी आरक्षित वर्ग (SC/ST/BC/MBC) के अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे – आयु सीमा, अंक, फिजिकल फिटनेस आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारिक्षत रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जाएगा।

(3)उक्त पद प्रथम बार विज्ञापित किये जा रहे हैं। अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **कोई अतिरिक्त छूट** देय नहीं होगी।

अन्य विवरण

अनेक पदों के लिए आवेदन–	यदि कोई अभ्यर्थी **वरिष्ठ अध्यापक (विशेष शिक्षा)** के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क–पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें। तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से **प्रथमआवेदन पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक–पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।**

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE

JobSarkari.com (The Best Government Jobs Website)

शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे**।विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
परीक्षा का स्थान एवं माह	परीक्षा राजस्थान राज्य के **अजमेर एवं जयपुर केन्द्र**पर आयोजित होने की संभावना है, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त यथाशीघ्र घोषित की जाएगी। परीक्षा स्थान/केन्द्र में परिवर्तन करना आयोग पर निर्भर है। परीक्षा हेतु केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।
आवेदन अवधि	दिनांक 17–04–2018 से दिनांक 01–05–2018 रात्रि 12–00 बजेतक।
आवेदन प्रक्रिया	1. अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट **https://rpsc.rajasthan/gov.in/applyonline** से एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल पर लोगिन कर **RecruitmentPortal** सर्विस का चयन करना होगा। 2. **RecruitmentPortal** पर आधार आधारित **One Time Registration (OTR)** कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु आवेदन कर सकता है। 3. अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरकर **RecruitmentPortal** पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से भुगतान कर आवेदन क्रमांक जनरेट करना होगा। 4. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग न करें। 5. अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं में किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं किया जायेगा। 6. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधित **Transaction** का लम्बित सत्यापन समय रहते हो सके।

आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधनदिनांक02–05–2018से दिनांक 08–05–2018रात्रि 12–00 बजेतक।

विशेष नोट :–

(1) अभ्यर्थी **Online Application Form** में अपना वही मोबाईल नम्बर अंकित करें जिस पर वह परीक्षा/साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना **SMS** के माध्यम से चाहता है। ऑनलाईन आवेदन में अंकित मोबाईल नम्बर बदलने/बन्द/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के लिए अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

(2) आयोग द्वारा अभ्यर्थी से किसी भी प्रकार का ऑफलाईन/लिखित संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा एवं उक्त 7 दिवस की ऑनलाईन संशोधन तिथि उपरान्त कोई भी परिवर्तन करने हेतु अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा।

Scheme and syllabus of competitive examination for senior teacher (Special Education)

PAPER – I

For the competitive examination for the post of senior teacher (Special Education) :-

1. The question paper will carry maximum 200 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 hours.
3. The question paper will carry 100 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i) Geographical, Historical, Cultural and general knowledge of Rajasthan.	80 marks
(ii) Current Affairs of Rajasthan	20 marks
(iii) General knowledge of world and India	60 marks
(iv) Educational Psychology.	40 marks
	Total 200 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

PAPER – II

A. For the post of Senior Teacher (Special Education) :-

1. The question paper will carry maximum 300 marks.
2. Duration of question paper will be 2.00 Hours 30 Minutes
3. The question paper will carry 150 questions of multiple choices.
4. Paper shall include following subjects carrying the number of marks as shown against them :-

(i)	Knowledge of secondary and senior secondary standard about relevant subject matter.	180 marks
(ii)	knowledge of graduation standard about relevant subject matter	80 marks
(iii)	Teaching methods of relevant subject.	40 marks
	Total	300 marks

5. The detailed syllabus and scope of paper for the examination will be as prescribed by the Commission from time to time and will be intimated to the candidates within the stipulated time in the manner as the Commission deems fit.

विशेष सूचना :–''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Onlineसंशोधन करसकता है। इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– **परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए** आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर जारी **नवीनतम एवं संशोधितपरीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in**पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–2635212 एवं 2635200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(गिरिराज सिंह कुशवाहा)
सचिव

To Search Govt Jobs Always Type JOBSARKARI.com in GOOGLE